

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या 551/1जी-FP/UK/ROAD/10731/2015 देहरादून: दिनांक: 17 अगस्त, 2015

सेवा में,
अपर सचिव, वन
उत्तराखण्ड शासन

विषय:- जनपद बागेश्वर में काण्डा-सानीउडियार-रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैण्ड से भदौरा-बाजीरोड मोटर मार्ग निर्माण हेतु - 0.84 है 0 वन भूमि हस्तांतरण FP/UK/ROAD/10731/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्ताव में प्रति है 0 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(एस0टी0एस0लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

संख्या : / 1जी-FP/UK/ROAD/10731/2015 तददिनांकित

प्रतिलिपि:

- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
- अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी0एम0जी0एस0वाई, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- जिलाधिकारी, बागेश्वर।
- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग।
- अधिशासी अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, बागेश्वर।

(एस0टी0एस0लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा
भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम:

जनपद बागेश्वर में काण्डा—सानीउडियार—रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैण्ड से
भदौरा—बाजीरोड मोटर मार्ग निर्माण हेतु — **0.84** है० वन भूमि हस्तांतरण
FP/UK/ROAD/10731/2015

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग
की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और
विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु बागेश्वर वन प्रभाग में 0.41 है० पंचायती वन भूमि तथा 0.43 है० सिविल
वन भूमि कुल 0.84 है० वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि
उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय
वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर
अपनी संस्तुति की है। अतः जनहित में, प्रस्ताव में प्रति है० 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने
के कारण प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस०लेघा भा.व.से)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं

नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड अधिकारी
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
सरकारी मोहर संरक्षण, भूमि संरक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड

तिथि : 14/08/2015

स्थान: देहरादून

भाग-III

कोटपातल वैष्णव से गद्दीरा श्रोतर मार्ग ५ km

(प्रस्ताव संख्या १०७३) | २०१५

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14— स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हॉ / नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	<p style="text-align: right;">नहीं</p> <p>प्रस्तावित 5. क्लिनी. लम्बाई में 0-10 वर्ष से छोड़ के कुल 03 वार्षिक समय में रहे। आता अधोदात स्तर से अलगसे कई निरीक्षण नहीं किए जाते। प्र० १ के पास 3465। 1-12 दिनांक 30। 4। 15 द्वारा प्राप्त अवधारणा एवं प्राप्ति का विवरण दिए गए। दिनांक 28। 3। 15 से 28। 6। 15 के अवधारणा सहजात</p> <p style="text-align: right;">प्रभावी पारदर्शी है (संलग्न 1-से 5)</p>
15— क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	<p style="text-align: center;"><u>हाँ सहमत</u></p>
16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले 0-10 व 10-20 व्यास श्रेणी के सभी वृक्षों का प्रस्ताव विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्रों में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांक

स्थानः— अल्मोड़ा ।

(संतोष विजय शर्मा)

वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृत्ति, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03@gmail.com

दूरभाष नं0:- 05963-220249 फैक्स नं0:- 05963-220209

पत्रांक 3465 / १-१२४१७ बागेश्वर दिनांक : ३०/०४ /२०१५।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा ।

विषय :-

जनपद बागेश्वर में कांडा-सानीउडियार-रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदौरा बाजीरोड मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 0.840 है। वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यापर्तन।

संदर्भ :-

On line upload proposal no. FP/UK/ROAD/ 10731/2015 dated 07.03.2015.

महोदय,

उक्त विषयक कम में आपको अवगत कराना है कि उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के संबंध में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय से उक्त प्रस्ताव को आनलाइन करते समय 0-10 सेमी० व्यास श्रेणी के 03 बांज वृक्षों को त्रुटिवश 10-20 सेमी० व्यास श्रेणी का दिखाया गया है।

अतएव अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव संलग्न कर सेवा में प्रेषित।

संलग्न—एफ.आर.ए. की प्रति ।

भवदीय

(एम०बी०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा रावतसेरा मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदौरा बाजीरोड मोटर मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित कांडा रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदौरा बाजीरोड तक मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 0.840 हेक्टेएक्टर भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति कांडा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

दिनांक ०२-०३-२०१५

Photo copy attached

वन अधिकार समिति
जनपद बागेश्वर
उपखण्ड कांडा

(भूपाल सिंह मनराल)

जिलाधिकारी

बागेश्वर

मुहर

नोट:- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।

सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न जिला अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र-23.3

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव

- | | | |
|----|------------------------------|--------------|
| 1- | जिलाधिकारी, बागेश्वर | अध्यक्ष |
| 2- | प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर | सदस्य |
| 3- | जिला पंचायत सदस्य | सदस्य |
| 4- | जिला समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य / सचिव |

आज दिनांक २४.०२.२०१५ को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कांडा के प्रमाण पत्र दिनांक 26.02.2015 द्वारा कांडा-रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदोरा बाजीरोड मोटर मार्ग निर्माण के लिए 0.840 है ० भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा कांडा-रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदोरा बाजीरोड मोटर मार्ग निर्माण के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कांडा के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर कांडा-रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदोरा बाजीरोड मोटर मार्ग निर्माण के लिए 0.840 है ० उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा कांडा-रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदोरा बाजीरोड मोटर मार्ग निर्माण के लिए 0.840 है ० भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला समाज कल्याण
अधिकारी बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

Photo copy Attached

प्रमाणपत्र अधिकारी
प्राप्त खण्ड लो० नि�० दिँ०
बागेश्वर

प्रपत्र— 23.4

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा रावतसेरा मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदौरा बाजीरोड मोटर मार्ग का निर्माण।

जिला अधिकारी द्वारा प्रवत्त प्रमाण पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में प्रस्तावित कांडा - रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदौरा बाजीरोड मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 0.840 हैक्टेयर वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता ऐजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/ 98- एफ०सी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनों यथा— सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईप लाईन विछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रमावित रहे हो रहे हैं।

स्थान—बागेश्वर
दिनांक ०२-०३-२०१५—

Photo copy attached

(भूपाल सिंह मनराल)
जिला अधिकारी
बागेश्वर
मुहर

B.S.
प्राप्त उत्तर लोड निर्दिष्ट
प्राप्त उत्तर लोड निर्दिष्ट

प्रपत्र-5

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
 (for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal had been received by this office from Executive Engineer, Provincial Division PWD Bageshwar for diversion under FCA 1980 of **0.840 hact.** Of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of x.....
Kotpal Bend to Bhadara Bajiroad motor road from Kand- Rawatsera Motor road. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated **28-02-2015**

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/ PF/ un-classed/ other forests measuring **0.840 ha.**

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 part I is unavoidable and is barest minimum required for the project. **No**

5.4 Whether any rare/ endangered/ unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details thereof:- **No**

5.5 xx... Whether any protected archaeological / heritage site/ defence establishment or any other important monument is located in the area, if so the details thereof with NOC from competent authority, if required. **No**

(a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation) Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

(b) It has been found that the user agency has violated (Conservation) Act 1980 and provisions. A details report as per para 1.9 of chapter I, para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

संवीकृति की संस्तुति की जाती है।

Place- Bageshwar

Date **28/2/2015**

Signature 

Name **निलामीकर्ता:**

Designation **निलामी प्रभाग,**

Office Seal **गणराज्य,**

N.B/ State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
 Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/ 2000 FC dated 16.10.2000 from Ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposals involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the Conservator of forest is required.

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UK-0335/2015

1. Location of the project/Scheme : Uttarakhand

- (i) State / Union Territory : Uttarakhand
- (ii) District : Bageshwar
- (iii) Forest Division : Bageshwar
- (iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 0.84
- (v) Category : Road

2. Legal status of forest land proposed for diversion :

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Bageshwar	0.43	Civil Soyam land
2	Bageshwar	0.41	Protected Forest

Division 1. : Bageshwar

3. District wise area to be diverted in the division :

S. No.	District	Area(ha.)
1	Bageshwar	0.84

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :

(ii) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	0.84	0.2	Eco 5

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Pinus roxburghii	chir		17	20	18	6
2	Quercus leucotrichophora	Baaj		3			

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion : No Data**6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : village development****7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 5****8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :**(i). **Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : NA**(ii). **Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve,tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No**(iii). **Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then,10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No**(iv). **Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from**

boundary of the forest land proposed for diversion : No

(v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any :

(i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion :

(i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed :

(i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : No Data

13. Details of compensatory afforestation scheme :

(i). Total Financial Outlay for C.A(lacs): 10.00

Patch Wise Details						
S.no	Patch No.	Area(ha.)	Name of PF/RF	Range	Compartment No	Uploaded KML file of patch
NO Data						
(ii). Copy of CA scheme details: Annexure CA (ii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A.: NA (ii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A.: NA						
Additional information Details :						
S. No.		Documents			Remarks	
		NIL				

14. District Profile :

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Bageshwar	231000	107400	620.3939	355	1315.278	29/04/2015	1081.006	234.272

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land :

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Bageshwar	North Kumaun	DFO	Yes	One	Site Inspection Report	22/04/2015
	North Kumaun	CF	No		No Data	

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV))

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason :

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Bageshwar	North Kumaun	DFO	Recommended		Recommendation letter	
	North Kumaun	CF	Recommended	The Proposal is in Public Interest. As per Proposal 238 families of 4 villages will be benefited, hence recommended.	Recommendation letter	Yes

[Print page](#)

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details

A- Project Details

1.

(i). Proposal No. : FP/UK/ROAD/10731/2015

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : Kanda-Saniudiyar-Rawatsera motor road Kotpatal Band to Bhadara-Bajirod motor road in District-Bageshwar

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : Proposal for diversion of 0.840 ha. forest land for construction of motor road.

(iv). State : Uttarakhand

(v). Category of the Project : Road

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear

(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 38.8

(viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 0.84

(ix). Total Area of Non-Forest Land proposed for diversion(in ha.): 2.66

(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years):
NIL

A- Details of User Agency

2.

(i). Name : PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR

(ii). Address1 : Provincial Division PWD Bageshwar

(iii). Address2 : NIL

(iv). State : Uttarakhand

(v). District : Bageshwar

(vi). Pin : 263642

(vii). Landmark : Kathayatbara

(viii). Email address : pdpwbgr@gmail.com

(ix). Landline Telephone No. : 220006

(x). Fax No. : NIL

(xi). Mobile No. : 7409040600

(xii). Website (if any) : NIL

(xiii). Details of Proposals seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land submitted by the User Agency in the past :
No

(xiv). Legal status of User Agency : State Government

A- Details of Person Making Application
3.

(i). First Name: Rajesh

(ii). Middle Name: Kumar

(iii). Last Name: Punetha

(iv). Gender: Male

(v). Designation: Executive Engineer

(vi). Address 1: Provincial Division PWD Bageshwar

(vii). Address 2: NIL

(viii). State: Uttarakhand

(ix). District: Bageshwar

(x). Tehsil: Bageshwar

(xi). Pin: 263642

(xii). Landmark: Kathayatbara

(xiii). Email Address: pdpwbgr@gmail.com

(xiv). Landline Telephone No.: 220006

(xv). Fax No.: 05963220006

(xvi). Mobile No.: 7409040600

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency:

[Annexure U.A Document](#)

B. Details of land required for the Project

B- Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in
1. the past

(i). Whether any proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land required for the project has been submitted in the past?. : No

B- Details of forest land proposed to be diverted
2.

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Bageshwar	0.84	2.66

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Bageshwar	0.84	2.66

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Kande Kanyal	0.224	0.56
2	Kharkhet	0.206	0.35
3	Bhadora	0.41	0.35
4	Banj Jhoroti	0	1.4

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Road	0.84	2.66

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Bageshwar		
(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 0.84		
(ii). : Linear		
(b). No. of Segments : One		
Segment wise details		
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments
1.	0.84	Annexure Segment1
(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: Annexure Survey of India Toposheet		
(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: Annexure scanned copy of the Geo-referenced map		

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land : [Annexure Justification](#)

(ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examined is required to be provided: Yes

(a). Copy of map indicating location of alternative examined: [Annexure alternative examined](#)

E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment ?: Yes

(ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 5

(iii). Temporary Employment(Number of person-days): 50

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ? : No

I. Status of Wildlife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : Yes

(a). Copy of documentary evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted: [Annexure Documentary Evidence](#)

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: NIL

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted ?: NIL

(iii) . Reason for not providing Non-Forest Land: NIL

Additional information Details

Documents

S.No	Documents	Remarks
1	Additional Info.	1.1
2	Additional Info.	1.2
3	Additional Info.	1.3
4	Additional Info.	1.4
5	Additional Info.	1.5
6	Additional Info.	1.6
7	Additional Info.	2.1
8	Additional Info.	2.2
9	Additional Info.	2.3
10	Additional Info.	2.4
11	Additional Info.	2.5
12	Additional Info.	2.6
13	Additional Info.	2.7
14	Additional Info.	2.8
15	Additional Info.	2.11
16	Additional Info.	2.12
17	Additional Info.	2.13
18	Additional Info.	2.15
19	Additional Info.	2.16
20	Additional Info.	2.18
21	Additional Info.	2.19
22	Additional Info.	2.20
23	Additional Info.	2.21
24	Additional Info.	2.23
25	Additional Info.	2.24
26	Additional Info.	2.27
27	Additional Info.	2.28
28	Additional Info.	2.29
29	Additional Info.	2.30
30	Additional Info.	2.32
31	Additional Info.	2.33
32	Additional Info.	2.34
33	Additional Info.	2.35
34	Additional Info.	2.36
35	Additional Info.	2.37
36	Additional Info.	2.38

[Print page](#)

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा रावतसेरा मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदौरा बाजीरोड मोटर मार्ग का निर्माण।

**लैन्ड शेड्यूल
(आरक्षित वन भूमि)**

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेक में)
1	2	3	4	5	6	7
प्रस्तावित मोटर मार्ग के सरेखण में आरक्षित वन भूमि प्रभावित नहीं होती है।						

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

वन क्षेत्र अधिकारी

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर

नोट- यह सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है।

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा रावतसेरा मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदौरा बाजीरोड मोटर मार्ग का निर्माण।

लैन्ड शैड्यूल

(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शैड्यूल के लिए)
(राजस्व विभाग) / जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र)

भूमि की श्रेणी :- सिविल सोयम भूमि।

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा नं०	कुल रकवा		परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है० में)
				ना०	मु०			
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	5431	03	15	112	7.00	0.078
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	5597	01	06	40	7.00	0.028
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	5598	01	07	41	7.00	0.029
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	5599	04	07	127	7.00	0.089
ग्राम कांडे कन्याल का योग				4 नं०	11	03	320	07
								0.224
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	170	02	13	80	7.00	0.056
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	172	01	05	37	7.00	0.026
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	184	01	14	54	7.00	0.038
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	260	04	05	128	7.00	0.086
ग्राम खड़खेत का योग				4 नं०	10	05	295	07
								0.206
	कुल योग		8 नं०	21	08	615	7.00	0.4305 या 0.430

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

पटवारी
उपराजस्व नियंत्रक
बागेश्वर

तहसीलकार कांडा
जापट-बागेश्वर

उपजिला अधिकारी
उपजिला अधिकारी
कांडा.

जिला अधिकारी
जिला अधिकारी

नोट- उक्त सूचना राजस्व विभाग द्वारा प्रयोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है जिसे प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है। प्रत्येक श्रेणी की भूमि का अलग-अलग प्रपत्र भरा जाना है।

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा रावतसेरा मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदौरा बाजीरोड मोटर मार्ग का निर्माण।

लैन्ड शैड्यूल

(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शैड्यूल के लिए)
(राजस्व विभाग) / जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र)

भूमि की श्रेणी :- वन पंचायत भूमि।

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा नं०	कुल रकवा		परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हेक्टेक्टर में)
				नां०	मु०			
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	53	03	13	109	7.00	0.0763
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	55	05	14	168	7.00	0.1176
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	181	03	10	104	7.00	0.0728
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	233	02	11	077	7.00	0.0539
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	237	04	07	127	7.00	0.0889
	कुल योग		5 नं०	20	07	585	7.00	0.4095 या 0.410

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

उपप्रबन्ध से निरीक्षक तहसीलदार कांडा
राजीना चूप्पट-बागेश्वर

उपजिला अधिकारी
संघजिला अधिकारी
कांडा

जिला अधिकारी
बागेश्वर

नोट- उक्त सूचना राजस्व विभाग द्वारा प्रयोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है जिसे प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है। प्रत्येक श्रेणी की भूमि का अलग-अलग प्रपत्र भरा जाना है।

2.6

प्रपत्र-11.3

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा रावतसेरा मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदौरा बाजीरोड मोटर मार्ग का निर्माण।

लैन्ड शेड्यूल

(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिए)
(राजस्व विभाग) / जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र)

भूमि की श्रेणी :- नाप भूमि।

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा नं०	कुल रकवा		परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हेक्टेक्टर में)
				अ.प्र.	उ.प.			
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	काडेकन्याल	28	00	800	07	0.560
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	खड़खेत	17	08	500	07	0.350
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	भदोरा	17	08	500	07	0.350
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	बांजझिरोटी	70	00	2000	07	1.40
नाप भूमि का कुल योग				133	00	3800	07	2.660

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

उपसंचारी निरेक्षक उपसंचार कांडा
बजीना जनपद-बागेश्वर

उपसंचारी अधिकारी
कांडा

जिला अधिकारी
बागेश्वर

नोट- उक्त सूचना राजस्व विभाग द्वारा प्रयोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है जिसे प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है। प्रत्येक श्रेणी की भूमि का अलग-अलग प्रपत्र भरा जाना है।